परिवादी साक्षी

दा.प्रकरण क्र.*1572/22*

तेजराम सिन्हा बनाम कौशिल्या बाई यादव

Witness No.- 01 - For - परिवादी साक्षी *- Deposition taken on 05.03.2025-, Day of* 'गुरूवार *- Witness apparent age 44 States on affirmation - on oath - My name is* तेजराम सिन्हा ***son****/Husband/wife of* स्व. श्री बनवाली राम सिन्हा *- Occupation* कृषक *–Address-----*ग्राम डोड़की, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी, छ.ग.

टीपः परिवादी साक्षी का मुख्य परीक्षण शपथपत्रीय कथन अंतर्गत धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत कंडिका क्रमांक 01 से 09 दिनांक 06.10.2022 को प्रस्तुत किया गया है। साक्षी को आज दिनांक को पुनः शपथ दिलाकर मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रारंभ समय 01:10 बजे

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री आकाश चंद्राकर , अधिवक्ता वास्ते परिवादी:-</u>

10. मेरे द्वारा परिवाद के समर्थन में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया हूं जिसमें आरोपी के द्वारा मुझे प्रदत्त भारतीय स्टेट बैंक, शाखा धमतरी, जिला धमतरी का चेक क्रमांक 536669 जारी दिनांक 16.06.2022 के माध्यम से 3,05,000/-रुपये का चेक मुझे दिया था जो **प्रदर्श पी.01** है जिसके अ से अ भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है । उक्त चेक को मैने आहरण हेतु बैंक ऑफ इंडिया, शाखा धमतरी में दिनांक 17.06.2022 को प्रस्तुत किया था जिसकी रिर्टन मेमो दिनांक 18.06.2022 **प्रदर्श पी.02** हैं। मेरे द्वारा पुनः उक्त चेक को आहरण हेतु बैंक ऑफ इंडिया, शाखा धमतरी में दिनांक 27.07.2022 को प्रस्तुत किया था जिसकी रिर्टन मेमो दिनांक 28.07.2022 **प्रदर्श पी.03** हैं। मेरे अधिवक्ता के द्वारा आरोपी को विधिक नोटिस चेक बाउंस के उपरांत दिनांक 26.08.2022 को प्रेषित कराया गया उक्त नोटिस **प्रदर्श पी.04** है ।

11. उक्त नोटिस की पोस्टल रसीद दिनांक 26.08.2022 है जो **प्रदर्श पी.05** है। डाक विभाग से प्राप्त प्राप्ति अभिस्वीकृति **प्र.पी. 06** हैं तथा ऑनलाईन ट्रेकिंग की वेब प्रति **प्र.पी.07** हैं। । मेरे द्वारा जो अपने परिवाद एवं शपथ पत्रीय कथन में जो अनुतोष की मांग की है वह मुझे दिलायी जावे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बी.एल. सिन्हा , अधिवक्ता वास्ते आरोपी:–

टीपः – बचावपक्ष के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित साक्षी के प्रतिपरीक्षण करने हेतु स्थगन चाहा गया। विचार बाद न्यायहित में प्रतिपरीक्षण अगामी तिथि तक स्थगित किया गया। यदि इस साक्षी की मृत्यु हो जाती हैं या साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता हैं या नहीं मिल सका या उसकी हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना संभव नहीं है, जो मामले की प्रकृति में अनुचित होगी तो इस साक्षी का मुख्य परीक्षण आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य में पढ़ा जावेगा।

साक्ष्य समाप्ति समय 01:20 बजे।

साक्षी को उसका साक्ष्य पढ़कर सुनाया गया,
उसने सही होना स्वीकार किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

-sd-
(कु. मीनू नंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
धमतरी

-sd-
(कु. मीनू नंद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
धमतरी

गवाह के हस्ताक्षर